2023/275

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री सलीम खान पुत्र श्री अमीर खान
निवासी अम्बिका होटल के पीछे
दानवाव, तलेटी, आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** — मुकदमा नं. 66 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.12.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास को दिनांक 02.11.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि तलेटी चौराहे से सरूपगंज की तरफ जाने वाले ओडीआर 9 पर मॉर्डन इन्सुलेटर के मुख्य गेट के पास सडक के किनारे किए जा रहे नाला निर्माण व रोड सेफ्टी वॉल की अनुमति एवं इसे पक्का करने एवं उसके प्राकृतिक बहाव वाले रास्ते के साथ छेडछाड करने को लेकर निर्माणकर्ताओं को अनुमति जारी की गई, उसकी प्रमाणित प्रति एवं तलेटी चौराहे से सरूपगंज की तरफ जाने वाले ओडीआर 9 को चौडा करने को लेकर पी.डब्ल्यू.डी. से एनओसी ली गई, उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास को दिनांक 02.11.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि तलेटी चौराहे से सरूपगंज की तरफ जाने वाले ओडीआर 9 पर मॉर्डन इन्सुलेटर के मुख्य गेट के पास सडक के किनारे किए जा रहे नाला निर्माण व रोड सेफ्टी वॉल की अनुमति एवं इसे पक्का करने एवं उसके प्राकृतिक बहाव वाले रास्ते के साथ छेडछाड करने को लेकर निर्माणकर्ताओं को अनुमति जारी की गई, उसकी प्रमाणित प्रति एवं तलेटी चौराहे से सरूपगंज की तरफ जाने वाले ओडीआर 9 को चौडा करने को लेकर पी.डब्ल्यू.डी. से एनओसी ली गई, उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास, आबू द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/यूआईटी आबू/आर.टी.आई./2023/547 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में सूचित किए जाने से लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी भी प्रकार की अन्य कोई कार्यवाही/सूचना उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner